देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR ™
www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/gg/01 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शनिवार, 5 दिसम्बर 2020

माननीय मुख्यमंत्री महोदय!! कहाँ है आपका सुशासन???

भाग-1

मनमर्जी

आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधि का...

मंत्री से लेकर हाईकोर्ट तक गुहार, 26 साल बाद भी जेडीए की कार्रवाई का इंतजार

4/12/20

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. राजधानी में आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई पूरी तरह जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) और नगर निगम की मर्जी पर निर्भर है। इसकी बानगी फिर सामने आई है। इसमें ढाई दशक पहले शिकायत हुई, जांच में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां चलती पाई गई लेकिन जेडीए ने 26 साल में भी कार्रवाई नहीं की है।

मामला चौमूं हाउस सर्कल स्थित विनायक आवासीय अपार्टमेंट में व्यावसायिक गतिविधि चलने का है। यह सचिवालय से कुछ ही दूर है। अपार्टमेंट निवासी डॉ. हेमेन्द्र सुराणा ने व्यावसायिक गतिविधि की शिकायत पहली बार 1994 में की। इस पर 20 साल पहले जेडीए ने हाईकोर्ट के स्थगन आदेश का हवाला देकर कार्रवाई नहीं की। नगरीय विकास मंत्री ने 20 साल पहले रिपोर्ट मांगी तो जवाब आया कि अपार्टमेंट में 20 व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं।

मामला जेडीए अपीलीय अधिकरण से हाईकोर्ट तक पहुंचा और सुराणा की याचिका 2016 से हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस पर हाल ही हाईकोर्ट को जवाब मिला और याचिकाकर्ता सुराणा से पक्ष रखने को कहा गया है। चार साल पुरानी इस याचिका पर अभी सुनवाई की तारीख तय नहीं है और याचिकाकर्ता की उम्र 73 साल हो गई है। सुराणा का कहना है कि व्यावसायिक गतिविधि चलने से लोगों की बेरोकटोक आवाजाही होती है।

यह है स्थिति

सुविधा क्षेत्र की अनदेखी करते हुए 20 दुकानों का निर्माण करउन्हें बेच दिया। जेडीए भी इसे मान चुका है। हालांकि बेसमेंट स्पिलट एयर कंडीशन सिस्टम, इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड, पैनल्स, जनरेटर, मैकेनिक सुविधा के लिए ही स्वीकृत है।

जांच-दर-जांच, नतीजा शून्य

- वर्ष 2001 में स्वायत्त शासन मंत्री ने जेडीए सचिव से जांच कराई। सचिव ने अपार्टमेंट का मौका मुआयना कर माना कि तहखाने में बीस अवैध दुकानें संचालित हैं। रिपोर्ट मंत्री को भी सौंपी।
- जेडीए ने पड़ताल कर 23 मई 2011 को जवाब दिया कि अपार्टमेंट में व्यावसायिक उपयोग अनुमोदित नहीं है।
- मामला जेडीए अपीलीय अधिकरण पहुंचा। अधिकरण ने 25 फरवरी 2013 को जेडीए को आदेश दिया कि एक माह में अवैध निर्माण पर दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय दें। अवैध व्यावसायिक गतिविधि मिलने पर कार्रवाई करें।

विनायक अपार्टमेंट मामले में प्रवर्तन शाखा में कार्रवाई के लिए लिखा जा चुका है। उनके स्तर पर कार्रवाई होनी है। जोन एरिया में किसी भी स्थिति में भवन विनियम के विपरीत गतिविधि नहीं होने देंगे।
- कुंतल विश्नोई, उपायुक्त, जेडीए

राजस्थान पत्रिका में दिनांक 04/12/2020 को प्रकाशित खबर से साभार

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

जिन्दा कौमे पांच साल इन्तजार नहीं करती!!!

हद हो गई!

दो टूक
अमित वाजपेयी

पूरा सिस्टम जैसे बहरेपन का शिकार हो गया। जनता की पीड़ा उसे सुनाई नहीं देती। कभी कान खोलने पड़े और पीड़ा सुननी भी पड़े तो फिर गूंगा बन जाता है। जनता की पीड़ा के लिए दोषी कौन है, उसके खिलाफ मुंह से बोल नहीं फूटते। विधायक हों या मंत्री, अफसर हों या सरकार, जुबान सिर्फ पीड़ित को कोरे आश्वासन देने तक सिमटकर रह जाती है।

सचिवालय से कुछ ही दूर चौमूं हाउस सर्किल स्थित विनायक आवासीय अपार्टमेंट में यही तो हुआ! सुविधा क्षेत्र की अनदेखी कर वहां बीस दुकानें बनाकर बेच दी गईं। जेडीए ने जांच में माना भी, कि दुकानें अवैध हैं। लेकिन हुआ क्या? छब्बीस साल से कोरे आश्वासन मिलते रहे। सुकून और सुरक्षा के तलबगार पीड़ित ने पहली बार जब शिकायत की तब वह 47 साल के थे। अब 73 के हो गए हैं। इस बीच मामला स्वायत्त शासन मंत्री से लेकर जेडीए, जेडीए अपीलीय अधिकरण और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका, लेकिन न कार्रवाई हुई, न अवैध दुकानें हटी। पूरा सिस्टम मौन रहकर एक पीड़ित को गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम की ओर जाते देखता रहा। सिस्टम अब शायद इस प्रतीक्षा में है कि पीड़ित कब संन्यास आश्रम की ओर गमन करे और वह फाइल बन्द कर मामला 'निस्तारित' कर दे।

दरअसल, यह महज बानगी है। आवासीय क्षेत्रों में अवैध तौर पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने की समस्या राज्य के ज्यादातर गली-मोहल्लों की है। यानी चन्द लोगों की पैसों की भूख समूचे नागरिक समाज की शान्ति भंग कर रही है। लोग सुकून से जीने, चैन की नींद सोने के लिए आवासीय क्षेत्रों में घरौंदे खरीदते हैं, लेकिन धन के भूखे लोग गली-मोहल्लों में शोर बरपाने आ धमकते हैं। अवैध रूप से दुकानें बना-बेचकर उनका सुख-चैन छीन लेते हैं। और जिम्मेदार अफसर-नेता... उन्हें तो कदम-कदम पर यही चाहिए। कहां अवसर मिले और अपनी जेबें भरें!

हालत यह है कि लोगों की शिकायतें लेने के लिए मुख्यमंत्री को नया ई-मेल आइडी जारी करना पड़ा है। हालांकि यह कोरोना संक्रमण के कारण जन सुनवाई जैसी गतिविधियां नहीं होने के कारण जारी किया है, लेकिन क्या छोटी-मोटी पीड़ाएं भी सीधे सीएम को बतानी पड़ेंगी? क्या गारंटी है कि इस ई-मेल पर मिली शिकायतों का भी वही हश्र नहीं होगा, जो उक्त पीड़ित की शिकायत का हो रहा है? क्या सीएम खुद कार्रवाई करने फील्ड में उतरेंगे? नहीं न? तो फिर निस्तारण के लिए शिकायतें जाएंगी कहां? मंत्रियों-अफसरों के पास ही न ? वे तो छब्बीस साल में बीस दुकानें ही नहीं हटा पाए तो इन शिकायतों का 'निस्तारण' कैसे करेंगे? अफसर-नेताओं का जो गठजोड़ अदालतों को भी गुमराह करने के प्रयासों से बाज नहीं आता, क्या वह सीएम के ई-मेल का 'मान' रख पाएगा? इस सवाल को सुलझाना होगा। सिस्टम को सुधारना, जनता के प्रति जवाबदेह बनाना होगा। तब ही जनता को सुकून हासिल हो पाएगा।

जवाब मांगते सवाल?

1. जब जे.डी.ए. मान रही है कि आवासीय काम्प्लेक्स में बिना अनुमति व्यवसायिक गतिविधियाँ की जा रही है, जो कि अवैध है,उसके बावजूद इन अवैध निर्माणों पर 26 सालों से कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई?

2. 26 सालों से क्या कर रहे है जे.डी.ए. के जिम्मेदार अधिकारी?

3. यदि डा. सुराणा जैसे सक्षम व्यक्ति को न्याय पाने के लिए 26 साल इन्तजार करना पड़ेगा तो गरीब,असहाय आम आदमी का क्या होगा?

4. आखिर मुख्यमंत्री कार्यालय इस मामले में क्यों आँख बंद किये बैठा है?क्यों इस मामले में जिम्मेदार अधिकारीयों को कार्यवाही करने के आदेश नहीं दे रहा है?

5. क्या अवैध निर्माणकर्ताओं की पहुँच मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी है?

6. यदि मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बावजूद इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई तो आम जन में क्या सन्देश जाएगा?क्या ऐसी ख़बरें सरकार की बदनामी का कारण नहीं है?

जागरूक नागरिकों से अनुरोध:-

यदि आप भी शहर के जागरूक नागरिक है और इस खबर से विचलित है तो इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में लाये

कृपया इस मामले को अपने ईमेल आई.डी. से माननीय मुख्य मंत्री महोदय के आधिकारिक ईमेल आई.डी.पर मेल करें:-

writetocm@rajasthan.gov.in